न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 02.01.2019

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

–प्रार्थी

बनाम

श्री राजीव सोनी पिता श्री रतनलाल सोनी निवासी आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के सामने, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2018 को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को मीरा नगर में घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहुंच जांच की गई, मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम श्री राजीव सोनी पिता रतनलाल सोनी बताया। श्री राजीव सोनी के साथ उसके मकान के ग्राउण्ड फ्लोर का निरीक्षण करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 मोटर मय रिफिल पाईप मय नोजल पाए गए। इस संबंध में श्री राजीव सोनी से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि वह 50 रूपये लेकर गाडियों में गैस भरने का कार्य करता है तथा यदि सिलेण्डर की सप्लाई मेरे द्वारा की जाए तो उसकी कीमत अलग से लगेगी। उक्त गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर मौके पर प्रस्तुत नहीं किए तथा यह भी बताया कि उसके पास गैस रिफिलिंग, गैस भण्डारण एवं गैस ट्रान्सफर के संबंध मे कोई दस्तावेज नहीं है। मौके पर गायत्री गैस एजेन्सी चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि को

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 01/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) बनाम श्री राजीव सोनी निवासी मीरा नगर, चित्तौड़गढ़

बुलाकर उनके प्रमाणित साल्टर हैंगिंग स्केल से सिलेण्डरों मे भरी गैस का तौल करवाया तो दोनो सिलेण्डरों में कुल 16.2 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से एल. पी. जी. गैस से भरे हुए 2 गैस सिलेण्डर मय गैस मात्रा 16.2 कि. ग्रा. एवं मोटर (Make, अवधूत, 1 हॉर्स पावर) मय रिफिलिंग पाईप मय नोजल जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री इनायत अली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षी एवं उनके अधिवक्ता दोनो उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 17.09.2018 को विपक्षी के मकान पर जांच करने पर विपक्षी के मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में विपक्षी के कब्जे में घरेलू गैस के 2 सिलेण्डर व 1 मोटर मय रिफिलिंग पाईप व नोजल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 मोटर मय रिफिलिंग पाईप मय नोजल आदि राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत किया कि मेरा नाम राजीव सोनी नहीं होकर कृष्ण गोपाल सोनी है तथा मेरे यहां से कोई गैस सिलेण्डर मय मोटर जब्त नहीं की गई है। अतः कार्यवाही निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी के मकान का निरीक्षण करने पर वहां घरेलू श्रेणी के 2 गैस सिलेण्डर जिनमें कुल 16.2 कि. ग्रा. गैस भरी हुई तथा गैस रिफिलिंग की एक मोटर मय पाईप मय नोजल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उपस्थित विपक्षी से उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उक्त गैस सिलेण्डरों से गाडियों में गैस भरना स्वीकार किया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने घर पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 16.2 कि. ग्रा. गैस तथा 1 मोटर (Make, अवधूत, 1 हॉर्स पावर) मय रिफिलिंग पाईप मय नोजल राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 02 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 16.2 कि. ग्रा. गैस, 1 मोटर (Make, अवधूत, 1 हॉर्स पावर) मय रिफिलिंग पाईप मय नोजल राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:21:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: